राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 7(53)परि/नियम/मु./2017/पार्ट–III/202 जयपुर, दिनांक 04/01/18

कार्यालय आदेश 1/2018

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.18 के उपनियम (1) के तहत वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस प्राप्त करने हेतु आवेदन उस जिले के जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन जिले में स्थापित निजी फिटनेस जांच केन्द्र जहां उस वाहन का कर खाता संधारित है मे करने का प्रावधान है। प्रायः यह देखा गया है कि परिवहन श्रेणी मे पंजीकृत वाहनों के स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र ऐसे परिवहन कार्यालयों से भी प्राप्त कर लिया जाता है जिस परिवहन कार्यालय में वाहन पंजीकृत नहीं है तथा वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित पता भी उस परिवहन जिले के क्षेत्राधिकार का नहीं है। वंही ऐसे वाहन के कर खाते का संधारण भी उस परिवहन जिले में नहीं किया जा रहा है जिस परिवहन जिले द्वारा फिटनेस जारी की जा रही है। इस प्रकार के वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना नियम विरूद्ध है। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित जिले में ऐसे वाहनों के संधारित कर खाते अपूर्ण रहते है जिसके कारण अंकेक्षण दलों द्वारा इन वाहनों में कर की राशि बकाया मानते हुए ऑडिट पेरा बनाये जाते है जबकि वास्तव में अधिकांश वाहनों का कर उस परिवहन कार्यालय में जमा पाया जाता है जिस कार्यालय में ऐसे वाहन को फिटनेस जारी की गई है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पुनः निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ऐसे प्रकरण जहां वाहन का पंजीयन एवं कर खाते का संधारण एक ही परिवहन जिले में किया गया हो में फिटनेस प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाये जब वाहन स्वामी द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। कर चुकता प्रमाण के अभाव में किसी भी वाहन को फिटनसे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि फिटनेस निरीक्षण हेतु कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व Additional fees, green Tax, नियम 4.18(6) के तहत देय शास्ति एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु देय फीस जमा होना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. ऐसे प्रकरण जहां वाहन किसी अन्य परिवहन जिले में पंजीकृत है को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व निम्न प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जायेगीः–
   (i) फिटनेस के आवेदन पत्र के साथ कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
   (ii) वाहन स्वामी द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में दिया गया पता फिटनेस जारी करने वाले कार्यालय के क्षेत्राधिकार का है अथवा नहीं। अगर दिया गया पता किसी अन्य परिवहन कार्यालय का है तो ऐसे वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में वाहन स्वामी के पते का इन्द्राज किया जायेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र में पते के

परिवर्तन के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2016 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 29 में पते के प्रमाण स्वरूप वर्णित दस्तावेज ही मान्य होंगे।

(iii) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या 2(ii) की पूर्ती के पश्चात जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन का कर खाता खोला जाकर इसका इन्द्राज जी आई आर में भी किया जावेगा।

(iv) ऊपर वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तदुपरान्त नियमानुसार फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(v) जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन को जारी फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन स्वामी द्वारा जमा करवाये गये कर की सूचना भी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी जिसके द्वारा अन्तरजिला कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है को दी जायेगी।

3. अजमेर राजस्व जिले में कार्यरत फिटनेस सेंटर को छोडकर राज्य के शेष परिवहन जिलों में स्थापित निजी फिटनेस जांच केन्द्रो द्वारा उन्ही वाहनो का यांत्रिक निरीक्षण किया जायेगा जिन वाहनों को कर चुकता प्रमाण पत्र उस जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिस परिवहन जिले में फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित है वंही इन प्रकरणों में ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या 1 की अनुपालना भी सुनिश्चित की जानी है।

4. फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा दी गई यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र फोर्म 38 में परिवहन कार्यालय से ही जारी किया जावेगा। फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त वाहन को कर चुकता प्रमाण पत्र उसके कार्यालय द्वारा ही जारी किया गया है तथा ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या 1 की अनुपालना भी सुनिश्चित कर ली गई है।

5. ऐसे जिले जहां उप परिवहन कार्यालयों द्वारा वर्तमान में फिटनेस जारी करने का कार्य किया जा रहा है के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इन कार्यालयों द्वारा केवल वाहनों की यांत्रिकी जांच ही की जायेगी एवं इस जांच के आधार पर संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ही फिटनेस प्रमाण पत्र फोर्म 38 में अनिवार्य रूप से जारी किया जावेगा।

उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः– प. 7(53)परि/नियम/मु./2017/पार्ट–III/203-208 जयपुर, दिनांक 04/01/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

Order regarding fitness in other office

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Order regarding fitness in other office